संख्या-11/2015/658/60-1-15-1/03(49)/02
टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी
उत्तर प्रदेश।
(बांदा, इटावा, गौतमबुद्धनगर, हमीरपुर, हापुड,
जालौन, झांसी, काशीरामनगर, ललितपुर, मैनपुरी,
मुजफफरनगर, संतकबीरनगर, शामली, सुल्तानपुर को छोडकर)

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 13 मई, 2015

विषय-: पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के ब्लॉक रिकार्ड ठीक करने विषयक्।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की विभिन्न योजनायें तथा निराश्रित विधवा पेंशन योजना/विकलांग पेंशन योजना/वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशन धारकों का विवरण एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने तथा पेंशन योजना के द्वितीय किस्त का वितरण आनलाइन किये जाने के निर्देशों के क्रम में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पेंशन योजना के द्वितीय किस्त के भुगतान के संबंध में दिनांक 10.04.2015 की उत्तर प्रदेश राज्य संक्षिप्त विवरण (स्टेट समरी रिपोर्ट) के अनुसार जनपदों में कुल 1712577 डाटा के सापेक्ष 1459393 लाभार्थियों के खाते में धनराशि का अन्तरण किया जा सकता है जबकि कुल 11757 डाटा ब्लॉक प्रदर्शित हो रहे है जिससे ब्लॉक डाटा की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही हो पा रही है।

अत: अपने जनपदों के ब्लॉक रिकार्ड का विवरण निम्न प्रारूप पर दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

30.05.2015 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे :-

जनपद का नाम -

लाभार्थी का नाम	अपात्रता की तिथि	अपात्र होने का कारण	अपात्र होने की तिथि से भुगतानित धनराशि	अपात्रता की तिथि से भुगतानित धनराशि का विवरण	अपात्र लाभार्थी के स्थान पर नवीन चयनित लाभार्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

भवदीया,

¼रेणुका कुमार½
प्रमुख सचिव

संख्या-658(1)/60-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

2- संबधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलीय उप मुख्यपरिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की सूचना समयबद्ध रूप से निस्पादित कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

¼नन्दलाल प्रसाद½
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in